



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 25, 2019/वैशाख 5, 1941

No. 137]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 25, 2019/VAISAKHA 5, 1941

## केंद्रीय होम्योपैथी परिषद्

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2019

**सं. 7-2/2018-कें.हो.प.—**होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 33 की उप-धारा (1) खण्ड (ख) से (छ), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद्, केंद्रीय सरकार की पूर्वानुमति से केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् (साधारण) विनियम, 2018 में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों को केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् (साधारण) संशोधन विनियम, 2019 कहा जाएगा।  
(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् (साधारण) विनियम, 2018 (यहाँ इसके बाद उक्त विनियमों से संदर्भित), विनियम 4 में, उप विनियम (1) में, परंतुक में, शब्दों “पंद्रह दिन” को शब्दों “कम से कम सात दिन” से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
3. उक्त विनियमों के विनियम 5 के, उप विनियम (1) में, शब्दों “पैंतालीस दिन” को शब्दों “पंद्रह दिन” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4. उक्त विनियमों के विनियम 6 में-  
(i) उप विनियम (2) में शब्द “पंद्रह” को शब्द “सात” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।  
(ii) उप विनियम (3) में शब्द “पंद्रह” को शब्द “सात” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5. उक्त विनियमों के विनियम 45 में,  
(i) उप विनियम (2) में शब्दों “इक्कीस दिन तथा बारह दिन” को शब्दों “सात दिन तथा पाँच दिन” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।  
(ii) उप विनियम (2) के परंतुक में शब्दों “दस दिन” को शब्दों “तीन दिन” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

डॉ. कुमार विवेकानन्द, रजिस्ट्रार सह सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./21/19]

**नोट** : मूल विनियमों को संख्या 7-1/90-के हो प (भाग-II) दिनांक 15 नवंबर, 2018 अधिसूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र भाग-III, खण्ड-4 में दिनांक 16 नवंबर, 2018 को प्रकाशित किया गया था।

**CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th April, 2019

**No. 7-2/2018-CCH.**—In exercise of the powers conferred by clauses (b) to (g) of sub-section (1) of section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Central Council of Homoeopathy (General) Regulations, 2018, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Central Council of Homoeopathy (General) Amendment Regulations, 2019.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Central Council of Homoeopathy (General) Regulations, 2018 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 4, in sub-regulation (1), in the proviso, for the words “fifteen days”, the words “minimum of seven days” shall be substituted.
3. In the said regulations, in regulation 5, in sub-regulation (1) for the words “forty five days”, the words “fifteen days” shall be substituted.
4. In the said regulations, in regulation 6,—
  - (i) in sub-regulation (2) for the word “fifteen” the word “seven” shall be substituted;
  - (ii) in sub-regulation (3) for the word “fifteen” the word “seven” shall be substituted.
5. In the said regulations, in regulation 45,—
  - (i) in sub-regulation (2) for the words “twenty one days and twelve days”, the words “seven days and five days” shall be substituted;
  - (ii) in the proviso to sub-regulation (2) for the words “ten days” the words “three days” shall be substituted.

Dr. KUMAR VIVEKANAND, Registrar-cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./21/19]

**Note** : The principal regulations were published *vide* notification No. 7-1/90-CCH(Pt.II), dated the 15<sup>th</sup> November, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 16<sup>th</sup> November, 2018.